फर्द अहकाम

बनाम

लय

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

272/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/3/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] कार्य स्थगित [illegible] दिनांक 15/4/25 को पेश हो।	
1/4/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता निर्मल कुमार जैन हाजिर व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 की ओर से सत्यप्रकाश पारीक उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 को जवाब हेतु अनेक अवसर देने के उपरान्त जवाब पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थी 1 लगायत 6 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 7 सम्यक तामील के उपरान्त हाजिर नहीं हुए। अतः अप्रार्थी सं. 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है। एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद की बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को बनाए रखने के लिए प्रार्थना-पत्र के चरण सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी पर अन्यथा उभयपक्षों को ताकैतलवाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर लेकर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	